उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या–क0नि0–5–3713/11–2002–500(5)/91टी.सी.
लखनऊः दिनांक– 17 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा–76–क के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या–एस0आर0–1566/11–94–500(5)/91टी.सी. दिनांक– 5 अगस्त, 1994 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल सन् 1899 के उक्त अधिनियम की धारा–56 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों (अध्याय पांच के अधीन कलक्टर द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण के सिवाय) नीचे अनुसूची के स्तम्भ–1 में उल्लिखित अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों को स्टाम्प शुल्क के ऐसे विवादों के, जिनमें उनके समक्ष स्तम्भ 2 में दर्शायी गयी धनराशि अन्तर्ग्रस्त हों, सम्बन्ध में अपनी–अपनी अधिकारिता के अधीन प्रत्यायोजित करते हैं।

प्रतिबन्ध यह है कि स्तम्भ–1 में उल्लिखित राजस्व प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तम्भ–2 में यथा उल्लिखित अपनी–अपनी धन सम्बन्धी अधिकारिता के नीचे के स्टाम्प शुल्क के विवादों के मामले की सुनवाई को ग्रहण नहीं करेंगे।

अनुसूची

स्तम्भ–1 राजस्व प्राधिकारी	स्तम्भ–2 विवाद में अन्तर्ग्रस्त स्टाम्प शुल्क का मूल्य
न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद, इलाहाबाद।	पांच लाख रुपये से अधिक।
मण्डल आयुक्त	पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख रुपये से अनधिक।
अपर मण्डल आयुक्त	पचास हजार रुपये तक।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(विनोद मल्होत्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0–5–3713(1)/11–2002 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– विधायी अनुभाग–1
8– समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
9– समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट
(विनोद मल्होत्रा),
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0–5–3713/11–2002 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांकः 17 अक्टूबर, 2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की दो सौ प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं एक सौ प्रतियां शासन के वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(विनोद मल्होत्रा),
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification No. K.N. 5-3713/11-2002-500 (5)/91 T C Dated October 17, 2002 for general information.

No. K.N. 5-3713/11-2002-500(5)/91 T C
Lucknow, Dated October 17, 2002
NOTIFICATION

In exercise of the power under clause (b) of section 76-A of Indian Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in partial modification of the previous notification No. S.R. 1566/11-94-500(5)/91 T C Dated August 5, 1994, the Governor is pleased to delegate the powers conferred on the Chief Controlling Revenue Authority under sub-section (1) of section 56 (except the control over the powers exerciseable by the Collector under Chapter V) of the said Act of 1899 to the subordinate revenue authorities mentioned in column I of the Schedule below in respect of disputes of Stamp duty involving the amount shown against them in column II within their respective jurisdiction. Provided that the Revenue Authorities mentioned in column I shall not entertain cases of disputes of stamp duty below their respective pecuniary jurisdiction. as mentioned in column II of the said Schedule.

SCHEDULE

Column I	**Column II**
Chief Controlling Revenue Authority	Value of stamp duty involved in the dispute
Member Judicial Board of Revenue, Allahabad	Exceeding rupees five lakh
Divisional Commissioner	Exceeding rupees fifty thousand but not exceeding rupees five lakh
Additional Divisional Commissioner	upto rupees fifty thousand

By order,

Sd/- Illegible
(Vinod Malhotra)
Pramukh Sachiv.